

9/03/21 वृत्तलाभ करीके उपस्थित / मूल प्रकृत
26/20 अन्तर्गत 25A 25A में निहित
पारित किया जा चुका है अतः इस परावली
में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है मन्त्री
श्री. प्रकृत की कार्यवाही इसी स्तर पर
इस की जमा प्राप्ति पर खारिज किया
जाता है तथा अन्तर्गत द्वारा पारित अन्तर्गत
निर्देशानुसार दिनांक 25-11-2020 को निरस्त
किया जाता है परावली में शुभ
घटक मूल प्रकृत परावली के जमा पर है।

राधिका
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

